न्यायमूर्ति राजीव नारायण रैना के समक्ष

कटार सिंह - *याचिकाकर्ता*

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य - *प्रतिवादी*

2013 की सीडब्ल्यूपी संख्या 17818

अगस्त 16, 2013

भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 226 - नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 - धारा 15 - याचिकाकर्ता, पुलिस में एक हेड कांस्टेबल पर एनडी पीएस अधिनियम की धारा 15 के तहत अपराधों का आरोप लगाया गया था - बाद में संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया गया - हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने दर्ज किया कि जांच अधिकारी का आचरण निशान तक नहीं है क्योंकि उसने प्रासंगिक गवाही के लिए गवाही नहीं दी थी - एक साथी पुलिस अधिकारी को जमानत देने का स्पष्ट प्रयास - इसके साथ ही एक विभागीय याचिकाकर्ता के खिलाफ शुरू की गई जांच - जांच अधिकारी द्वारा बाध्यकारी कि याचिकाकर्ता ने हेरफेर करके बरी कर दिया था और यह सुनिश्चित किया था कि उचित साक्ष्य का नेतृत्व नहीं किया गया था - उपरोक्त निष्कर्ष के आधार पर, स्थायी प्रभाव से लगाए गए दो भविष्य के वार्षिक वेतन वृद्धि को रोकने की सजा - याचिकाकर्ता की अपील और पुनरीक्षण खारिज - उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका में, यह माना गया कि हालांकि संदेह का लाभ देने से यह नहीं पता चलता है कि कोई व्यक्ति निर्दोष नहीं है, लेकिन ट्रायल कोर्ट के समक्ष त्रुटिपूर्ण और हेरफेर किए गए सबूतों को ध्यान में रखते हुए, कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया था, खासकर जब जांच अधिकारी

को आपराधिक अदालत द्वारा फटकार लगाई गई थी - रिट याचिका खारिज कर दी गई थी।

यह कहना है कि इस प्रस्ताव के लिए थोड़ा संदेह है कि बरी होने के कारण के रूप में संदेह का लाभ देना यह सुझाव देना नहीं है कि आदमी निर्दोष नहीं है। मैं डा रेढू की इस बात से सहमत हूं कि यदि व्यक्ति को केवल इस तथ्य के आधार पर दंडित किया जाता है कि उसे विचारण न्यायालय द्वारा संदेह का लाभ दिया गया था, तो यह पर्याप्त नहीं होगा कदाचार नग्न आंखों के लिए स्पष्ट है कि दोषपूर्ण जांच में निहित आरोप को घर लाने में अभियोजन पक्ष की घोर विफलता थी। विशेष न्यायाधीश, सोनीपत ने दर्ज किया है कि एसएचओ रामफल ने गवाह के कटघरे में पेश होते हुए प्रासंगिक गवाही के लिए गवाही नहीं दी, जो उन्हें करनी चाहिए थी, वास्तविकता में देखा गया निष्कर्ष यह है कि याचिकाकर्ता, एक साथी पुलिसकर्मी को ड्रग के आरोप से जमानत दी जाए। मुळो डर है कि याचिकाकर्ता को दोषपूर्ण जांच और अभियोजन पक्ष के गवाहों के अनुरूप बयान देने का कोई लाभ नहीं हो सकता है। मुझे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि एक पुलिसकर्मी अंततः एक रिश्तेदार की रक्षा कर रहा था, जो उसके कार्यों के परिणामों को जानता नहीं था, जब वर्षों बाद भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय द्वारा की गई न्यायिक समीक्षा में परीक्षण किया गया। एसएचओ इंस्पेक्टर रामफल का आचरण जांच के दायरे में लाया जाना चाहिए और इसलिए मैं हरियाणा के पुलिस महानिदेशक को व्यक्तिगत रूप से इस पहलू की जांच करने का निर्देश देता हूं क्योंकि उन्हें इस मामले की जांच करने का कोई अवसर नहीं मिला है, जो अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, प्रशासन, हरियाणा-सह-पुनरीक्षण प्राधिकरण के समक्ष समाप्त हुआ था।

(पैरा 8)

आगे कहा गया कि मेरे पास यह कहने का कोई कारण नहीं है कि दंड देने वाले प्राधिकारी द्वारा सौंपा गया कारण अनुचित या अप्रासंगिक है या लगाए गए दंड के अनुरूप नहीं है। विशेष न्यायाधीश, सोनीपत ने एसएचओ इंस्पेक्टर रामफल के खिलाफ वस्तुतः निंदा की है। इसलिए, संदेह बना रहता है और एक भारी संदेह यह है कि एक समझदार व्यक्ति के दिमाग पर उसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त दबाव है जैसा कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सोनीपत ने अपने दिनांक 23.01.2012 के आदेश में तय किया था। एक गंभीर ड्रग चार्ज की बेईमानी से जांच पर विशेष न्यायाधीश के निष्कर्षों का उप-उत्पाद मुझे मामले में हस्तक्षेप करने से रोकता है। 'हाय याचिकाकर्ता दुनिया के बाकी हिस्सों के लिए आरोप से निर्दोष हो सकता है, लेकिन एक अनुशासित बल की दुनिया में नहीं। अभियोजन पक्ष द्वारा शुरू की गई अभियोजन की विफलता पर एक पुलिसकर्मी द्वारा ड्रग डीलिंग के सबूत का बोझ जांच में बदलाव के लिए शुरू की गई आसान है। ट्रायल कोर्ट का मतलब भ्रष्ट पुलिसकर्मियों द्वारा व्यक्तिगत सिरों या सौदेबाजी काउंटरों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना है। पुलिस बल को एक पुलिसकर्मी के खिलाफ आरोप नहीं लाना चाहिए और अभियोजन पक्ष के मामले को पटरी से उतारने के लिए मौखिक गवाही को रोककर बाद में सौदा करने के लिए उस पर मुकदमा चलाना चाहिए। 'यह न्यायालय सचेत है कि संदेह का लाभ देकर सम्मानजनक बरी होने और बरी होने से बहुत कम अंतर है। लेकिन इस मामले में प्रश्न नहीं उठता क्योंकि संदेह का लाभ जिसके कारण बरी किया गया है, जांच अधिकारी और एसआई आईओ रामफल की विफलता के पतले संतुलन पर निर्भर करता है कि वह पेश किए गए चालान के आधार पर अभियोजन पक्ष के मामले के समर्थन में ईमानदारी से गवाही दे सके।

(पैरा 9)

याचिकाकर्ता के वकील सुरेश कुमार रेढू *ने कहा।*

निर्णय

न्यायमूर्ति राजीव नारायण रैना

1) याचिकाकर्ता, एक छूट प्राप्त हेड कांस्टेबल (ईएचसी) के खिलाफ ड्रग डीलिंग के पुलिस स्टेशन मुरथल में तैनात होने के दौरान गंभीर कदाचार का आरोप लगाया गया था। अदालत ने कहा, "यह जांच के दौरान उत्तर प्रदेश निवासी सोनू मंडल के एक बयान पर था कि याचिकाकर्ता ट्रक चालकों और अन्य ग्राहकों को सतनाम ढाबा, ग्रैंड ट्रंक रोड, मुरथल में प्रतिबंधित पोस्त की बिक्री में शामिल था। नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 की धारा 15 के तहत अपराधों के लिए पुलिस स्टेशन मुरथल में दिनांक 22.01.2009 की एफआईआर संख्या 25 में याचिकाकर्ता के खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। विशेष न्यायाधीश, सोनीपत को दिनांक 07.02.201 के निर्णय द्वारा याचिकाकर्ता सहित अभियुक्त को संदेह का लाभ देकर बरी करने के लिए विवश किया गया था। ट्रायल कोर्ट ने जांच अधिकारी और एसआई आईओ रामफल के आचरण पर अपनी नाराजगी व्यक्त की, जिन्होंने प्रासंगिक गवाही को पेश नहीं करके कर्तव्य से परहेज किया, जो उन्हें गवाह के कटघरे में करना चाहिए था, जिसके आरोप को घर लाने के लिए वह हिस्सा थे और पार्सल विशेष न्यायाधीश के समक्ष चाय की प्रस्तुति में परिणत हुआ। विशेष न्यायाधीश ने अपने आदेश में निम्नानुसार दर्ज किया: -

> *"एक और गंभीर दुर्बलता है जो अस्पष्ट बनी हुई है। जांच अधिकारी ने कहा है कि जब इवो नमूने और अवशेष पार्सल विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किए गए थे। 23.1.2009 को सोनीपत की तुलना में प्रमुख की तुलना में। न्यायिक मजिस्ट्रेट, सोनीपत श्री आर ई गोयल, जिन्होंने*

पार्सलों पर अपनी मुहर लगाई और उन पर भी हस्ताक्षर किए। हालांकि, न तो कोई आद्याक्षर पाया गया था और न ही नमूने पर उसकी कोई मुहर थी जो फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, मधुबन में प्राप्त हुई थी, जैसा कि रिपोर्ट पूर्व ईडी से स्पष्ट है जो नमूना पार्सल पर 'आरएस' और 'एसएस' और 'आरई' की मुहर दिखाती है। इसका अर्थ यह है कि नमूना वही नहीं था जिस पर विद्वान प्रमुख द्वारा विधिवत हस्ताक्षर और मुहरबंद किया गया था। न्यायिक मजिस्ट्रेट सोनीपत के अलावा जांच अधिकारी राजेंद्र सिंह, पुलिस उपाधीक्षक बनवारी लाल और थाना प्रभारी निरीक्षक रामफल भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

51. जब अभियोजन के मामले में इतनी बेवफाई है और आधिकारिक गवाहों के बयानों में विरोधाभास थे, तो किसी भी स्वतंत्र पुष्टि की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अभियोजन पक्ष के अनुसार और जांच अधिकारी के बयान के अनुसार जनता में से किसी भी व्यक्ति को जांच में शामिल होने के लिए भी नहीं कहा गया था। इसलिए, अभियुक्त निश्चित रूप से बरी होने के हकदार हैं।

52. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, अभियोजन पक्ष आरोपी सोनू मंडल के खिलाफ अपने मामले को साबित करने में बुरी तरह विफल रहा है और वह भी बरी होने का हकदार है।

53. <u>फैसले से अलग होने से पहले, यह देखा जाना चाहिए कि जांच अधिकारी और तत्कालीन स्टेशन I लाउज ऑफिसर इंस्पेक्टर रामफा! का आचरण निशान तक नहीं था। न तो जांच अधिकारी ने अपना कर्तव्य अच्छी तरह से निभाया है और न ही तत्कालीन स्टेशन हाउस ऑफिसर इंस्पेक्टर रामफई ने, जिन्होंने गवाह के कटघरे में पेश होते हुए प्रासंगिक गवाही का निपटारा नहीं किया, जो उन्हें करना चाहिए था।</u> आचरण नियमों के अनुसार ऐसे चूककर्ता अधिकारियों के विरुद्ध

समुचित प्राधिकारी द्वारा उचित कार्रवाई की जानी चाहिए।

54. ऊपर दर्ज कारणों के लिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष तीन आरोपियों में से किसी के खिलाफ उचित संदेह से परे अपने मामले को साबित करने में सक्षम रहा है और अभियुक्तों को संदेह का लाभ देते हुए उन सभी को उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया गया है।

(2) आपराधिक मुकदमे के साथ-साथ याचिकाकर्ता के खिलाफ उसी आरोप पर 24.01.2009 को विभागीय जांच शुरू की गई थी। याचिकाकर्ता को निलंबित कर दिया गया और पुलिस उपाधीक्षक, शहर सोनीपत को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। रिपोर्ट याचिकाकर्ता के खिलाफ गई। आपराधिक मुकदमे में कहानी के आधार पर आरोप एक निष्कर्ष को वापस करके साबित किया गया था कि याचिकाकर्ता ने "*अदालत के समक्ष अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा उचित सबूत नहीं देने के कारण*" बरी कर दिया था । इसलिए, रिट याचिका के पैराग्राफ 6 में याचिकाकर्ता का यह मामला कि घरेलू जांच में आरोप लगाने का कारण यह है कि याचिकाकर्ता को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया गया था और सम्मानजनक बरी नहीं किया गया था, पूरी तरह से सच नहीं है

(3) जांच कार्यवाहियों में प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर दण्ड देने वाले प्राधिकारी अर्थात् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सोनीपत ने दिनांक 29122011 को रिकार्ड किए गए निष्कर्षों से सहमत होते हुए दिनांक 23012012 के आक्षेपित आदेश (पी-3) द्वारा स्थायी प्रभाव से भावी दो वाषक वेतनवृद्धियों को रोकने का दण्ड अधिरोपित किया।

(4) सजा के आदेश से असंतुष्ट याचिकाकर्ता ने पुलिस महानिरीक्षक, रोहतक रेंज, रोहतक के समक्ष अपील दायर की जिसे दिनांक 04.03.2012 (पी-5) के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, प्रशासन, हरियाणा सह पुनरीक्षण प्राधिकारी के समक्ष लाई गई पुनरीक्षण याचिका दिनांक 10.12.2012 (पी-7) को विफल हो गई।

(5) यह याचिका सजा की पुष्टि करने वाले तीन आदेशों को चुनौती देते हुए दायर की गई है।

(6) पक्षकारों के विद्वान वकील को सुना।

(7) डॉ. रेढू *रूप सिंह नेगी* बनाम पंजाब नेशनल हांक *और अन्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले और*[1] *शिव कुमार गोयल* बनाम हरियाणा राज्य और एक अन्य *श्रीमती पूनम रानी बनाम*[2] *उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड* में दिए गए इस न्यायालय की डिवीजन बेंच के फैसलों *पर भरोसा करते हैं।*[3], *और शशि कुमार बनाम उत्तर हरियाणा बिजली विट्रोन निगम और अन्य*[4]। इन निर्णयों में प्रतिपादित कानूनी प्रस्तावों के साथ कोई संदेह नहीं है। हालांकि, इनमें से किसी भी

[1] 2009(2) एससीसी 570
[2] 2007(1) एससीटी 739
[3] 2008(1) एससीटी 819
[4] 2005(1) एससीटी 576

ढील में ट्रायल कोर्ट ने पुलिस विभाग से संबंधित अभियोजन पक्ष के गवाहों के खिलाफ एक पुलिसकर्मी की सक्रिय रूप से मदद करने और न्याय को बढ़ावा देने के लिए आलोचना नहीं की।

(8) यह कि एक आपराधिक मुकदमे में आवश्यक सबूत का मानक और अनुशासनात्मक कार्यवाही में डिग्री में अलग है, किसी भी संदेह के लिए खुला नहीं है। संभावनाओं की प्रधानता के आरोप को घर लाने के लिए घरेलू पूछताछ में यह पर्याप्त है। यह एक आसानी नहीं है जहां संदेह के लाभ को सम्मानजनक बरी करने के साथ बरी कर दिया गया है। इस प्रस्ताव के लिए थोड़ा संदेह है कि बरी होने के कारण के रूप में संदेह के लाभ को देना यह सुझाव देना नहीं है कि आदमी निर्दोष नहीं है। मैं डॉ. रेड्डू से सहमत हूं कि यदि व्यक्ति को केवल इस तथ्य के आधार पर दंडित किया जाता है कि उसे ट्रायल कोर्ट द्वारा संदेह का लाभ दिया गया था, तो यह पर्याप्त नहीं हो सकता है यदि कदाचार के घरेलू आरोप की गंभीरता का तथ्य नग्न आंखों के लिए स्पष्ट है कि दोषपूर्ण जांच में निहित आरोप को घर लाने में अभियोजन पक्ष की घोर विफलता थी। विशेष न्यायाधीश। सोनीपत ने दर्ज किया है कि एसआई आईओ रामफल ने गवाह के कटघरे में पेश होने के दौरान प्रासंगिक गवाही के सामने गवाही नहीं दी जो उसे करनी चाहिए थी। वास्तविकता में देखा गया निष्कर्ष यह है कि उसने याचिकाकर्ता, एक साथी पुलिसकर्मी को ड्रग के आरोप से बाहर निकाला। मुळो डर है कि याचिकाकर्ता को दोषपूर्ण जांच और अभियोजन पक्ष के गवाहों के अनुरूप बयान देने का कोई लाभ नहीं हो सकता है। मुझे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि एक पुलिसकर्मी अंततः अपने रिश्तेदारों की रक्षा कर रहा था, यह जानते हुए कि उसके कार्यों के परिणाम क्या हैं, जब वर्षों बाद भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय द्वारा की गई न्यायिक समीक्षा में परीक्षण किया गया। एसएचओ इंस्पेक्टर रामफल का आचरण जांच के दायरे में लाया जाना चाहिए और इसलिए, मैं हरियाणा के पुलिस महानिदेशक को

व्यक्तिगत रूप से इस पहलू की जांच करने का निर्देश दूंगा क्योंकि उन्हें इस मामले की जांच करने का कोई अवसर नहीं मिला है, जो अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, प्रशासन, हरियाणा-सह-पुनरीक्षण प्राधिकरण के समक्ष समाप्त हुआ था।

(9) मेरे पास यह मानने का कोई कारण नहीं है कि दंड देने वाले प्राधिकारी द्वारा दिया गया कारण अनुचित या अप्रासंगिक है या अधिरोपित दंड के अनुरूप नहीं है। विशेष न्यायाधीश। सोनीपत ने एसआई आईओ इंस्पेक्टर रामफल के खिलाफ वस्तुतः सख्ती बरती है। इसलिए, संदेह बना रहता है और एक भारी संदेह यह है कि एक समझदार व्यक्ति के दिमाग पर उसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त दबाव है जैसा कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सोनीपत ने अपने दिनांक 23.01.2012 के आदेश में तय किया था। एक गंभीर ड्रग चार्ज की बेईमानी से जांच पर विशेष न्यायाधीश के निष्कर्षों का उप-उत्पाद मुझे मामले में हस्तक्षेप करने से रोकता है। याचिकाकर्ता बाकी दुनिया के लिए आरोप से निर्दोष हो सकता है लेकिन एक अनुशासित बल की दुनिया में नहीं। अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करने में अभियोजन पक्ष की घोर विफलता पर एक पुलिसकर्मी द्वारा ड्रग डीलिंग के सबूत का बोझ मेरे विचार में हल्का है। ट्रायल कोर्ट का मतलब भ्रष्ट पुलिसकर्मियों द्वारा व्यक्तिगत सिरों या सौदेबाजी काउंटरों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना है। पुलिस बल को एक पुलिसकर्मी के खिलाफ आरोप नहीं लाना चाहिए और अभियोजन पक्ष के मामले को पटरी से उतारने के लिए मौखिक गवाही को रोककर बाद में सौदा करने के लिए उस पर मुकदमा चलाना चाहिए। यह न्यायालय सचेत है कि माननीय बरी और लाभ देकर बरी कर दिया जाए संदेह का थोड़ा अंतर है। लेकिन इस मामले में यह सवाल नहीं उठता क्योंकि संदेह का लाभ जिसके कारण बरी किया गया है, जांच अधिकारी और एसआई आईओ रामफल की विफलता के पतले संतुलन पर निर्भर करता है कि वह पेश किए गए चालान के आधार पर अभियोजन पक्ष के मामले के समर्थन में ईमानदारी से गवाही दे सके।

(10) *पूर्वगामी कारणों से, मैं इस याचिका को खारिज कर दूंगा। तदनुसार आदेश दिया।*

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

वनित कौर सोखी
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
करनाल , हरियाणा